जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 05.11.2024**

साइबर अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत साइबर थाना, शामली द्वारा 1,00,000/- रुपये की धनराशि वापस करायी गयी।

ज्ञात हो श्री तनवीर आलम निवासी मौहल्ला कायस्थवाड़ा थाना कैराना जनपद शामली को कैम्पस शूज की फ्रैंचाइजी दिलाने के नाम पर साइबर ठगो द्वारा 6,96,519/- रुपये की धनराशि ठग ली गयी थी। श्री तनवीर आलम उपरोक्त की तहरीर के आधार पर साइबर थाना शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के निर्देशन में साइबर थाना शामली द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए फ्राड व्यक्ति के बैंक अकाउंट को डेबिट फ्रीज कराते हुए 1,00,000/- रुपये की धनराशि फ्रीज करायी गयी थी। उक्त फ्रीज धनराशि को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार पीड़ित के खाते में वापस कराया गया है। शेष धनराशि बरामदगी हेतु साइबर थाना पर आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध छुरा बरामदः-

आज दिनांक 05.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध छुरा बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.राशिद पुत्र करीमुद्दीन निवासी ग्राम इस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 छुरा।

थाना कोतवाली शामली/थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 05.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली/थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थानो पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सलीम पुत्र रशीद निवासी मौहल्ला मुस्लीम कस्बा बनत थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

2.सतेन्द्र उर्फ मोजी पुत्र घनश्याम निवासी ग्राम सिलावर थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 03 अलग-अलग मामलों में 04 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 9,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-</u>

1. वर्ष 2005 में अभियुक्तगण 1.रामकुमार पुत्र बाबूराम 2.राजू पुत्र भूप सिंह 3.ओमकार पुत्र इकबाल निवासीगण ग्राम मामौर थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 128/2005 धारा 447/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 05.11.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1,000-1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10-10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 2013 में अभियुक्त नसरूद्दीन पुत्र अली नवाज निवासी ग्राम नंगला राई थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 350/2013 धारा 379/411 भादवि0 व 4/21 खन्न अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 05.11.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि व 6000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तगणः-</u>

1.रामकुमार पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम मामौर थाना कैराना जनपद शामली।
2.राजू पुत्र भूप सिंह निवासी ग्राम मामौर थाना कैराना जनपद शामली।
3.ओमकार पुत्र इकबाल निवासी ग्राम मामौर थाना कैराना जनपद शामली।
4.नसरूद्दीन पुत्र अली नवाज निवासी ग्राम नंगला राई थाना कैराना जनपद शामली।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>